

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एन-677/18/ दिनांक:-

आदेश

श्री नन्दकिशोर प्रजापत, नर्सा-2 (परिवीक्षाधीन), मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नागौर का स्वयं की बीमारी के कारण निम्न प्रकार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 01.05.2017 से 05.05.17-05 दिवस
2. दिनांक 07.06.2017 से 09.06.17--03 दिवस
3. दिनांक 21.06.2017 से 23.06.17-03 दिवस
4. दिनांक 28.06.2017 से 30.06.17-03 दिवस
5. दिनांक 01.07.2017 से 14.07.17-14 दिवस

कुल- 28 दिवस

अतः वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 22-10-18

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एन-677/18/1413

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।